भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3064
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

कुशल श्रम बाजार

3064. **श्री विष्णु दयाल रामः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हुई शैक्षणिक हानि ने देश में विशेषकर स्नातक डिग्री धारकों के लिए शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में स्वैच्छिक बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुशल श्रम बाजार और नियोक्ताओं की अपेक्षाओं के बीच के इस अंतर को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के स्नातक व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 17.2%, 15.5% और 14.9% थी जो कि स्नातक डिग्री धारकों की बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न प्रकार की करियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी ढूंढने और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने कुशल श्रम और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लेकर आई है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से सभी शैक्षणिक संस्थानों में मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करना है। मिडिल और सेकेंडरी विद्यालय में, शुरुआती उम्र में, व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हुए, गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में सुचारू रूप से एकीकृत किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 11.03.2023 तक, इस योजना के तहत 60.3 लाख लाभार्थियों को 8805.0 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार "शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा वाले युवाओं के लिए योजना (श्रेयस)" को लागू कर रही है, जो मुख्य रूप से गैर-तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए एक कार्यक्रम है, जो उनके सीखने में रोजगारपरक कौशल आरंभ करने, शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए है और यह शिक्षा प्रणाली के रोजगार को सुगम बनाने वाले प्रयासों को भी समाहित करता है ताकि स्नातक करते हुए और उसके बाद छात्रों के लिए रोजगार अवसरों की दिशा स्पष्ट हों।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) "राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)" लागू कर रहा है, जिसमें सरकार, शिक्षुओं को देय वजीफे के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन केंद्रों के माध्यम से, उद्योग और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों को रोजगारपरक कौशल में प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआईज) के माध्यम से उद्यमिता विकास हेतु ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए, एक कार्यक्रम लागू कर रही है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****